नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19.07.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रा०पत्र वापस वाद विड्रा किये जाने पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जरिए प्रा०पत्र निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण पत्र को विड्रा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा ने की। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विड्रा प्रा०पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वाद तहसीलदार जयपुर से बईतजार रिपोर्ट विचाराधीन है। प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र बाबत विड्रा किये जाने प्रकरण/वाद को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण का वाद विड्रा प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजि० से कम होकर फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/07/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manish

सहायक कलक्टर
जयपुर

आज्ञा या कार्यवाही

श्रीमतीजी यादव
मालूराम यादव
S/o
(अधिवक्ता)